

उत्तराखण्ड शासन

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

कार्यालय ज्ञाप

20 मई, 2016 ई0

संख्या 175/2016/XXXIV-67/2014-राज्य के विभिन्न विभागों में आई0सी0टी0 उपकरणों की निष्प्रयोज्यता एवं उसके निदान की व्यवस्था बनाये जाने के उद्देश्य से मा0 श्री राज्यपाल महोदय, राज्य में आई0सी0टी0 उपकरणों के निष्प्रयोज्यता एवं उनके निदान की नीति, जिसकी प्रति उल्लिखित है, को दिनांक 15 मार्च, 2016 से लागू करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. सूचना और संचार तकनीकी घटकों के अनुपयोग और निस्तारण के लिए नीति, 2016 : नीति के उद्देश्य-

उत्तराखण्ड के समस्त सरकारी कार्यालयों में यह अनुभव किया जा रहा है कि अनुपयोगी रचनात्मक घटकों के निस्तारण के लिए तथा प्रत्येक सरकारी कार्यालयों में सूचना एवं संचार तकनीकी के पुनरुत्थान हेतु समेकित नीति की आवश्यकता है।

उत्तराखण्ड सरकार के पणधारियों के लिए सूचना और अनुपयोगी संचार तकनीकी घटकों के निस्तारण के लिए समेकित, आर्थिकी और उपयुक्त प्रक्रिया तैयार करना इस नीति का उद्देश्य है।

2. सूचना एवं संचार तकनीकी घटकों के अनुपयोग और निस्तारण के लिए दिशा-निर्देश :

सूचना और संचार तकनीकी घटक-

सूचना और संचार तकनीकी घटक में निम्नलिखित मदें सम्मिलित होनी चाहिए:-

- पर्सनल कम्प्यूटर,
- सर्वर,
- लैपटॉप/टेबलेट,
- डम्ब टर्मिनल,
- प्रिन्टर कार्टेज सहित,
- स्कैनर,
- यूपीएस,
- डाटा संचार उपकरण,
- दूरसंचार उपकरण/मोबाइल हैंडसेट,
- पैकेज सॉफ्टवेयर,
- फोटोकॉपियर
- इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक टाईपराइटर,
- फैसिमाइल,
- टैलेक्स,
- दूरभाष,
- डिसप्ले सिस्टम,
- पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क (एक्सटर्नल और इंटरनल), सीडी, डीवीडी, टेप ड्राइव्स इत्यादि सहित स्टोरेज डिवाइस,
- इलेक्ट्रॉनिक पेन और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर/राइटिंग पैड,
- उपर्युक्त किन्हीं घटकों के प्रयुक्त और परिधीय सामग्री।

लागू होना—

- उत्तराखण्ड सरकार के अधीन समस्त सरकारी विभाग,
- उत्तराखण्ड सरकार के अधीन समस्त निगमित निकाय/स्थानीय निकाय,
- उत्तराखण्ड सरकार के अधीन समस्त सार्वजनिक उपक्रम/सोसाइटी/निदेशालय/आयुक्तों के कार्यालय।

अनुपयोगिता के लिए आधार—

सूचना और संचार तकनीकी घटकों को निम्नलिखित आधार पर अनुपयोगी किया जा सकता है:—

❖ तकनीकी रूप से अप्रचलित—

- पाँच वर्ष की अवधि पूर्ण करने और कार्य करने की स्थिति में न होना।
- पाँच वर्ष की अवधि पूर्ण करने और तकनीकी रूप से सक्षम न होने, जिसके फलस्वरूप क्षमता प्रभावित हो रही हो और अपेक्षा के अनुसार परिणाम न आना।
- पैकेज सॉफ्टवेयर केवल यह घोषित करते हुए अनुपयोगी किया जा सकता है कि यह तकनीक अप्रचलित है, जिसे ओईएम से अद्यतन या उपयुक्त नहीं किया जा सकता है।

❖ मरम्मत आर्थिक रूप से उचित नहीं है—

सूचना एवं संचार तकनीकी घटकों को, जब इन घटकों को पुनरुत्थानित या आर्थिक रूप से सुरक्षित/व्यापक रूप से मरम्मत और पुनः एसेम्बल/एसेसरीज को नहीं बदला जा सकता है तथा उसके समकक्ष किसी मशीन का मूल्य पचास प्रतिशत से अधिक हो, को बीईआर से अनुपयोगी घोषित किया जा सकता है। इसी प्रकार इस ऐसे विक्रेता से प्राप्त किया जा सकता है, जो वार्षिक अनुरक्षण का आश्वासन दे। इसे पैकेज सॉफ्टवेयर के लिए भी विधिमान्य किया जा सकता है।

❖ गैर-मरम्मत योग्य—

सूचना एवं संचार तकनीकी को उपस्करों की गैर उपलब्धता के कारण अनुपयोगी घोषित किया जा सकता है।

❖ भौतिक रूप से क्षतिग्रस्त—

ऐसे सूचना और संचार तकनीकी उपकरण जो कि आग या किसी अन्य कारण से क्षतिग्रस्त हो गये हैं या किसी अन्य कारण से मानव नियंत्रण से बाहर हो गये हैं और मरम्मत योग्य नहीं हैं तो उन्हें भौतिक रूप से क्षतिग्रस्त मानते हुए अनुपयोगी घोषित किया जा सकता है।

अनुपयोगिता के प्रकार—

अनुपयोगिता या तो उसे विक्रय कर या उसके निस्तारण, जैसा कि स्थायी अनुपयोगिता समिति द्वारा निर्णित है, से किया जा सकता है।

विक्रय द्वारा—

- स्थायी अनुपयोगिता समिति विक्रय द्वारा अनुपयोगिता का निर्णय ले सकती है। स्थायी अनुपयोगिता समिति द्वारा विक्रय मूल्य वापसी के आधार पर जिसमें विद्यमान संविदा के किसी भाग के दरों को उसी दर संविदा पर पूर्व में और विक्रेता के परामर्श से आंकलित कर निर्णय लिया जा सकता है।

निस्तारण द्वारा—

- यदि स्थायी अनुपयोगिता समिति अनुपयोगी घोषित किये जाने के लिए निस्तारण का विकल्प चुनती है तो संबंधित विभाग इसके माध्यम से उसका निस्तारण कर सकते हैं। निविदा, नीलामी या कूड़े के लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 में अधिकृत प्रक्रिया अपनायी जा सकती है। यह प्रक्रिया पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नियमों के अधीन ई-वेस्ट प्रबंधन और व्यवहरण के अनुसार होनी चाहिए। सूचना और संचार तकनीकी घटकों का निस्तारण सरकार द्वारा अनुमोदित ई-वेस्ट री-साइकिलर/डिसमेंटियर होने चाहिए।

यदि विभाग विज्ञापित निविदा और नीलामी के माध्यम से प्रयास करने पर अनुपयोगी सूचना एवं संचार तकनीकी घटकों का विक्रय करने में समर्थ नहीं होती है तो वित्त विभाग के परामर्श से सक्षम अधिकारी के अनुमोदन प्राप्त कर कूड़े के मूल्य पर उसका निस्तारण कर सकते हैं। यदि विभाग कूड़े के मूल्य पर भी सूचना और संचार तकनीकी के अनुपयोगी घटकों का निस्तारण नहीं कर सकती है तो वह उसका निस्तारण किसी अन्य रीति से जिसमें इकोफ्रेण्डली रीति से घटकों का निस्तारण, जिससे स्वास्थ्य की क्षति न हो या पर्यावरणीय प्रदूषण न हो और ऐसे घटकों से कोई दुरुपयोग की सम्भावना न हो, द्वारा निस्तारण कर सकते हैं।

अवशिष्ट मूल्य आंकलन—

जैसा कि घटकों की अवधि पाँच वर्ष अवधारित की गयी है, अनुपयोगी घोषित करते समय अवशिष्ट मूल्य आंकलन पर वार्षिक घटोतरी दर के बीस प्रतिशत पर (घटते मूल्य ह्रास) पर इसका विचार किया जाना चाहिए।

विभाग के उत्तरदायित्व—

- सक्षम प्राधिकारी विभागीय स्तर पर सूचना और संचार तकनीकी घटकों को अनुपयोगी घोषित किये जाने के लिए एक अनुपयोगिता समिति का गठन करना चाहिए।
- अनुपयोगिता समिति सूचना और संचार तकनीकी घटकों के अनुपयोगी होने की सूचना, जिसमें संबंधित उपस्कर की सन्निर्माण तिथि, मॉडल, क्रम संख्या, भण्डार पंजिका संख्या, क्रय तारीख, क्रय मूल्य, अनुपयोगी घोषित किये जाने के कारण और अतिरिक्त सूचनाएं यदि कोई हों, सहित ऐसे घटकों का पूर्ण विवरण तैयार करेगा।
- विभागीय अनुपयोगिता समिति द्वारा इस प्रकार तैयार की गयी अनुपयोगिता रिपोर्ट, स्थायी अनुपयोगिता समिति द्वारा पुनर्विलोकित और अनुमोदित की जायेगी। अनुपयोगिता केवल स्थायी अनुपयोगिता समिति के अनुमोदन के पश्चात् की जायेगी।
- विभाग आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि समुचित बैकअप प्राप्त करने के पश्चात् अनुपयोगी सूचना और संचार तकनीकी से सभी सेवाएं और समस्त कल्पना स्तर आँकड़े/संचालन रीति आदि सहित हटा लिये गये हैं।
- जब कभी कोई उपकरण अनुपयोगी घोषित कर दिया गया हो तो उसे कार्यालय प्रयोग से हटा दिया जाना चाहिए और बेकार उपकरण के लिए निर्धारित स्थान पर रख दिया जाना चाहिए।

स्थायी अनुपयोगिता समिति के उत्तरदायित्व—

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, एनआईसी और संबंधित विभाग के प्रतिनिधियों से संरचित स्थायी अनुपयोगिता समिति का गठन करेगा।

स्थायी अनुपयोगिता समिति संबंधित विभाग की अनुपयोगी समिति द्वारा तैयार अनुपयोगिता रिपोर्ट का पुनर्विलोकन और अनुमोदन करेगी।

स्थायी अनुपयोगिता समिति मूल्य वापसी या निस्तारण की अनुपयोगिता की रीति के संबंध में निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी भी होगी।

आज्ञा से,

दीपक कुमार,
सचिव।

OFFICE MEMORANDUM

May 20, 2016

No. 175/XXXIV/2016-67/2014--The Condemnation and Disposal of ICT Components Policy, 2016 :**Objective of the Policy--**

With resurgent growth of the ICT infrastructure in every government office, need of comprehensive policy for disposal of unusable infrastructure components is felt across Uttarakhand government offices.

The objective of this policy is to design a comprehensive, economical and efficient process for the disposal of condemned ICT components for stakeholders of Government of Uttarakhand.

II. Guidelines for Condemnation & disposal of ICT Components :**ICT Components--**

ICT components should include the following items :

- PCs,
- Servers,
- Laptops/tablet,
- Dumb Terminals,
- Printers including cartridges,
- Scanners,
- UPSs,
- Data Communication Equipment,
- Tele Communication Equipment/mobile handset,
- Package Software,
- Copying equipment,
- Electrical and electronic typewriters,
- Facsimile,
- Telex,
- Telephones,
- Display Systems,
- Storage devices including pen drive, hard disk (external and internal), CDs, DVDs, tape drives etc,
- Electronic pen and electronic signature/writing pads,
- Consumables and peripherals of any above component.

Applicable to--

- All Government Departments under Government of Uttarakhand.
- All Autonomous Bodies/Local Bodies under Government of Uttarakhand.
- All PSUs/Societies/Directorates/Commissionaries under Government of Uttarakhand.

Grounds for Condemnation--

- The ICT components can be condemned on the following grounds:-

❖ **Technically Obsolete :**

- Completed 5 years life-span and not in working condition.
- Completed 5 years life-span and technology outdated affecting performance and output that is expected out of it.
- Package Software can only be condemned by declaring it as technically obsolete when no more updates or support are available from OEM.

❖ **Beyond Economical Repairs :**

ICT components can be declared BER when these components cannot be upgraded or maintained economically/warrant extensive repairs and replacement of sub-assemblies/ accessories and the combined cost of which exceeds certain percentage (50%) of the current cost of an equivalent system. The same can be ascertained from the vendor who is giving AMC support. This holds valid for package software too.

❖ **Non-repairable :**

ICT components can be condemned due to non-availability of spare parts.

❖ **Physically damaged :**

ICT components that have been damaged beyond repair due to fire or any other reason beyond human control can be condemned as Physically Damaged.

Mode of Condemnation--

The mode of condemnation may be either Buyback or Disposal, as decided by Standing Condemnation Committee (SCC) :

● **Buyback :**

SCC may decide to choose Buyback mode of Condemnation. The Buyback rates will be decided by SCC based on Buyback rates already part of existing contracts else their assessment after comparing similar Rate Contract in the past and in consultation with the vendor.

● **Disposal :**

If SCC decides to choose disposal mode of Condemnation, the concerned Department can dispose it through, Tender, Auction or Scrap as per the procedure laid down in Financial Handbook Volume-V, Part-1. This process should adhere e-waste (Management and Handling) Rules issued by Ministry of Environment and Forest, Government of India. ICT components will be disposed-off to government approved e-waste recyclers/dismantlers.

If the Department is unable to sell condemned ICT component in spite of its attempts through auction and advertised tender, it may dispose-off the same at its scrap value with the approval of the competent authority in consultation with Finance division.

In case the Department is unable to sell condemned ICT components even at its scrap value, it may adopt any other mode of disposal including destruction of the component in an eco-friendly manner so as to avoid any health hazard and for environmental pollution and also the possibility of misuse of any such component.

Residual Value Calculation--

As the life span of components is considered as 5 years, annual depreciation rate of 20% (written down value) will be considered to calculate residual value at the time of condemnation.

Responsibilities of Department--

- The competent authority should constitute a Condemnation Committee at departmental level to declare ICT components as ready for condemnation.
- Condemnation Committee will prepare ICT components condemnation report which should be individually numbered having component description including Make, Model, Serial Number, Asset Register Number, Purchase Date, Purchase Price, Reason for Condemnation and additional information, if any
- The Condemnation report so prepared by departmental condemnation committee will be reviewed and approved by SCC. The Condemnation will be done only after approval of SCC.

- The department must ensure that all service and inventory labels including Data, Operating System must be removed from condemned ICT component after taking proper backup.
- Once the equipment has been condemned it should be removed from office use and keep it in the area allocated for scrapped equipment.

Responsibilities of SCC--

- Department of IT will constitute a SCC comprising of representatives from Do IT, NIC and the concerned Department.
- The SCC will review and approve the condemnation report prepared by Condemnation Committee of concerned Department.
- The SCC will also be responsible to decide on the mode of condemnation whether Buy-back or Disposal.

By Order,
DEEPAK KUMAR,
Secretary.

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 18-06-2016, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी०एस०यू० (आर०ई०) ०१ सूचना प्रौद्योगिकी/349-08-07-2016-500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।